प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1 जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्र सं0-25/COVID-19/NP/2019-20/ 10575 दिनांकः 05 अप्रैल, 2020

विषय– कोविड–19 हेतु चिकित्सा इकाईयों में तैनात चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ (चिकित्सीय दल के समस्त सदस्यों) की आवासीय (मय लाउँड्री)/खान-पान सुविधाओं हेतु धनराशि व्यय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन कोविड समर्पित एल-1 एवं एल-02 (एल-2 के अन्तर्गत चिन्हित 06 चिकित्यालयों यथा 1-टी0बी0 सप्रू चिकित्सालय, प्रयागराज, 2-पं0 दीन दयाल उपाध्याय, चिकित्सालय, अलीगढ़, 3-पं0 दीनदयाल, उपाध्याय चिकित्सालय, वाराणसी, 4-जिला संयुक्त चिकित्सालय, संजय नगर, गाजियाबाद, 5-जिला संयुक्त चिकित्सालय, हरदोई, 6-कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय, कानपुर नगर) के चिन्हित चिकित्यालयों में तैनात चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ (चिकित्सीय दल के समस्त सदस्यों) की सक्रिय संगरोध (एक्टिव क्वारेन्टाईन) एवं निष्क्रिय संगरोध (पैसिव क्वारेन्टाईन) हेतु आवासीय (मय लाउँड्री)/खान-पान की सुविधाओं के लिए उ0प्र0 शासन द्वारा निम्नवत् दरें निर्धारित की गयी है–

क0 स0	नगर की श्रेणी	**एक्टिव क्वारेन्टाईन हेतु** प्रति व्यक्ति संस्तुत (धनराशि रू0 में) भोजन के लिए	**पैसिव क्वारेन्टाईन हेतु** प्रति व्यक्ति संस्तुत धनराशि रू0 में (आवासीय, मय लाउँड्री, हेतु)	**पैसिव क्वारेन्टाईन हेतु** प्रति व्यक्ति संस्तुत धनराशि रू0 में (भोजन हेतु)
1	'ए' श्रेणी के नगर	500/–	1500/–	500/–
2	'बी' श्रेणी के नगर	500/–	1250/–	500/–
3	'सी' श्रेणी के नगर	500/–	1000/–	500/–

उपरोक्त के कम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन कोविड समर्पित एल-1 एवं कोविड समर्पित एल-2 के चिन्हित चिकित्यालयों में तैनात चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ (चिकित्सीय दल के समस्त सदस्यों) के **सक्रिय संगरोध (एक्टिव क्वारेन्टाईन) में खान-पान की सुविधाओं** हेतु तथा **निष्क्रिय संगरोध (पैसिव क्वारेन्टाईन) हेतु आवासीय (मय लाउँड्री)** एवं **खान-पान की सुविधाओं** हेतु धनराशि का व्यय निम्नवत् दिशा-निर्देशों के अनुरूप किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

- यथा सम्भव यह प्रयास अवश्य किया जाये कि कोविड समर्पित एल-1 एवं एल-02 के चिन्हित चिकित्सालयों में तैनात चिकित्सीय दलों के सक्रिय संगरोध (एक्टिव क्वारेन्टाईन) तथा निष्क्रिय संगरोध (पैसिव क्वारेन्टाईन) हेतु आवासीय (मय लॉउन्ड्री)/खान-पान की सुविधाएं किसी सरकारी गेस्ट हाउस/सरकारी भवन में ही की जायें।
- उपरोक्त आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय सम्बन्धित जनपद की जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन उपरान्त नियमानुसार किया जायेगा।

Scanned with CamScanr

- उपरोक्त आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि कोविड–19 हेतु चिन्हित चिकित्सा इकाईयों में तैनात चिकित्सीय एवं पैरामेडिकल स्टाफ के सक्रिय संगरोध (एक्टिव क्वारेन्टाईन) तथा निष्क्रिय संगरोध (पैसिव क्वारेन्टाईन) हेतु आवासीय (मय लाउँड्री)/खान–पान सुविधाओं हेतु अन्य किसी मद/स्त्रोत से भुगतान नही किया जा रहा हो।
- उपरोक्त आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय, उ0प्र0 शासन के पत्र सख्या–216/पांच–9–2020 चिकित्सा अनुभाग 9 लखनऊ दिनांक 04.04.2020 एवं संशोधित पत्र सख्या–217/पांच–9–2020 चिकित्सा अनुभाग 9 लखनऊ दिनांक 05.04.2020 द्वारा कोविड–19 हेतु चिन्हित चिकित्सा इकाईयों में तैनात चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ की आवासीय (मय लाउँड्री)/खान–पान सुविधाओं हेतु **उपरोक्त निर्धारित दरों की अधिकतम सीमा तक** ही किया जाये।

उपरोक्त धनराशि का व्यय जनपदीय स्वास्थ्य समितियों द्वारा जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं माह के अन्त में इस कार्य हेतु किये गये व्यय विवरण को संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें को आवश्यक रूप से प्रेषित किया जायेगा जिससे संबंधित जनपद को उसके सापेक्ष धनराशि आवंटित की जा सके।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुये धनराशि का नियमानुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(विजय विश्वास पन्त)
मिशन निदेशक

पत्र सं0–25/COVID-19/NP/2019–20/ दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. वित्त नियंत्रक, एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/समस्त जिला लेखा प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि, उक्त पत्र की प्रति सम्बन्धित नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(डा0 अश्विनी कुमार)
महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कार्यक्रम